न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–55/2026

(लौकहा थाना कांड संख्या–154/2021; अन्तर्गत धाराः 272, 273 भा0द0वि0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम अर्जुन यादव

दिनांक	आदेश न्यायालय के हस्ताक्षर सहित	अभियुक्ति
21.02.2026	आवेदक अभियुक्त **अर्जुन यादव,** उम्र–47 वर्ष, पिता–बरकु यादव, सा0–मधोपुर, थाना–लौकहा, जिला–मधुबनी की ओर से लौकहा थाना कांड संख्या–154/2021 (अन्तर्गत धाराः 272, 273 भा0द0वि0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम) मे गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर दाखिल अग्रिम जमानत दिनांक 15.01.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश भारती द्वारा प्रचालित किया गया जिसकी प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक अरविंद प्रसाद वर्मा को पूर्व मे ही प्रदान की गयी है। उक्त जमानत आवेदन पर उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन संचालित करते हुए अभिकथित करते है कि आवेदकगण निर्दोष है तथा उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नही किया गया है। आवेदक अभियुक्त के ओर से पूर्व मे न तो विशेष न्यायालय (न्यायालय) के समक्ष अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कोई जमानत याचिका न तो लंबित है और न ही दाखिल किया गया है। आवेदक वयस्क है एवं उनका इस कांड के अलावे तीन अन्य अपराधिक इतिहास (लौकहा थाना कांड सं0–34/2023, 243/2023, 277/2021) है जिसमे से दो कांड बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है। आवेदक को शंका के आधार पर एवं ग्रामीण राजनीति के तहत फंसाया गया है। आवेदक के पास से कोई भी शराब की बरामदगी नहीं हुई है। अभियोजन पक्ष का मामला पुरी तरह झूठा और मनगढ़त है। याचिकाकर्ता बहुत ही गरीब व्यक्ति है एवं न्यायालय के सभी निर्देषो का अनुपालन करने को तैयार है तथा अच्छे से अच्छा जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करने किये जाने की प्रार्थना करते हैं। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया तथा अभिकथित किया गया कि आवेदक प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा छापेमारी के क्रम मे पुलिस बल को देखकर भागने मे सफल रहे थे परन्तु वहां उपस्थित लोगों के द्वारा आवेदक का पहचान किया गया एवं उनके द्वारा फेंके गए बोरे से 40 लीटर शराब की बरामद किया गया है। याचिकाकर्ता का इस कांड के अलावे तीन अन्य आपराधिक इतिहास है। वाद अनुसंधानरत है एवं बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धरा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत अवेदन का वर्जना किया गया है। अतः याचना करते है कि याचिकाकर्ता के ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषनीय नही है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख तथा अभिलेख पर उपलब्ध अद्यतन कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद भा0द0वि0 की धारा 272, 273 एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के अंतर्गत दर्ज किया गया है। बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत आवेदन का वर्जन किया गया है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामविनय यादव बनाम बिहार राज्य मे यह निर्धारित किया गया है कि बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) अन्तर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही है, फिर भी यदि मामले मे अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध नही बनता है तब आवेदन पोषणीय माना जा सकता है। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा दिनांक दिनांक 23.05.2021 को दिवा गस्ती के क्रम में नहरी चौक पर समय 10:45 बजे प्राप्त सूचना के आधार पर इस केस के सूचक एवं अन्य पुलिस बल नहरी मुसहरी टोला स्थित तलाब के पास पहुंचे तो तालाब के दक्षिणवारी ग्रमीण रास्ता से दो व्यक्तियों को कंधा पर बोरा में कुछ लेकर जाते देखा, जैसे ही उनकी नजर पुलिस वाहन पर पड़ी वे अपना–अपना बोरा वहीं पटक कर भागने में सफल रहे परन्तु उपस्थित लोगों के द्वारा भागने मे सफल रहे व्यक्ति के रूप मे आवेदक अर्जुन यादव एवं विपीन यादव का नाम बताया गया तथा यह भी बताया गया कि दोनो बरामर इस रास्ते से शराब ले जाते है। दोनों बोरो का विधिवत तलाशी लिया तो एक बोरा से 300 मि0ली0 का 70 बोतल तथा दूसरे बोरा से 66 बोतल कुल 40 लीटर, नेपाली देशी कस्तुरी शराब बरामद हुआ। कांड दैनिकी के कंडिका 103 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता का इस कांड के अलावे तीन अन्य अपराधिक	
लगातार...		

उपस्थितः–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–वि0 न्या0 उ0 अधि0, झंझारपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–66/2026

(लौकहा थाना कांड संख्या–154/2021; अन्तर्गत धारा: 272, 273 भा0द0वि0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम अर्जुन यादव

21.02.2026	इतिहास (लौकहा थाना कांड सं0–34/2023, 243/2023, 277/2021) है जिसमें से दो वाद बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है। कांड दैनिकी के कंडिका 02, 04, 05, 06 एवं 09 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि सभी साक्षियों द्वारा घटना का पूर्णरूपेण समर्थन किया गया है तथा वहां उपस्थित लोगों के द्वारा घटनास्थल से भागने में सफल रहे व्यक्ति के रूप में आवेदक का पहचान किया गया एवं उनके द्वारा फेंके गये बोरे से शराब की बरामदगी की पुष्टि की गयी है, जिससे प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के इस कांड मे एवं शराब के तस्करी एवं कारोबार मे संलिप्तता प्रतीत होती है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वाद की परिस्थितियों, आपराध की प्रकृति एवं विशेषतया वाद के वर्तमान प्रक्रम तथा याचिककर्ता के अपराधिक इतिहास एवं कांड मे की गयी बरामदगी एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) को ध्यान मे रखते हुए आवेदक **अर्जुन यादव** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोष्णीय नही होने के कारण **खारिज** किया जाता है। लेखापित Nayankumar. 21.02.26 (श्री नयन कुमार) अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, झंझारपुर	

उपस्थिति–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–वि0 न्या0 उ0 अधि0, झंझारपुर

Scanned with CamScanner